सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 455 राँची, गुरुवार, 26 अप्रैल, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 मार्च, 2018

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, पलामू का पत्रांक-360, दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 एवं पत्रांक-618/स्था०, दिनांक 19 सितम्बर, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-718, दिनांक 24 जनवरी, 2012 एवं पत्रांक-6377, दिनांक 15 मई, 2012

संख्या- 2087-- सुश्री छवि बाला बारला, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर, पलामू, सम्प्रति-अंचल अधिकारी, राहे, राँची के विरूद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-360, दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- 'क' में सुश्री बारला के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं०-1 सरकार के प्रधान सचिव, पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-384, दिनांक 21 मार्च, 2011 के आलोक में श्री दिनेश कुमार, प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य), गढ़वा ने प्रखण्ड कार्यालय में आपके समक्ष योगदान दिया । आपने उनका योगदान स्वीकार भी कर लिया । लेकिन आपने निवर्तमान ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक श्री ओंकार नाथ तिवारी से सांठ-गांठ करते हुए आपने श्री दिनेश कुमार को प्रभार नहीं दिलवाया और सरकार के आदेश के औचित्य पर ही प्रश्न उठाते हुए बिल्कुल ही अनावश्यक पत्राचार किया, जो आपके सरकारी दायित्व के निर्वहन में शिथिलता, स्वेच्छाचारिता एवं घोर अनुशासहीनता को प्रमाणित करता है ।

आरोप सं०-2 श्री दिनेश कुमार, अधिसूचित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर प्रखण्ड का योगदान स्वीकृत करने और निवर्तमान ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, श्री ओंकार नाथ तिवारी को विरमित नहीं करने के कारण आपने एक ही पद पर दो-दो पर्यवेक्षक को तैनात कर दिया । झारखण्ड सेवा संहिता का कोई भी नियम इसकी अनुमति नहीं देता । आपने नियम विरूद्ध कार्य करते हुए सेवा संहिता द्वारा स्थापित आदर्श नियमों का उल्लंघन किया एवं स्वयं के द्वारा व्याख्यायित नियम को लागू करने का प्रयास किया, जो एक लोक सेवक के आचरण के प्रतिकूल है ।

आरोप सं०-3 श्री दिनेश कुमार, अधिसूचित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हेहल, राँची के प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटने पर भी आपने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, उन्हें अधिसूचित पद का प्रभार नहीं दिलवाया और आपने चहेते निवर्तमान ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक से कार्य करवाते रहे और श्री कुमार का वैध वेतन श्री तिवारी अवैध रूप से लेते रहे, जिसमें आपकी सहभागिता एवं मिलीभगत रही ।

आरोप सं०-4 आपने सरकार के नीतिगत मामलों में दखल देते हुए श्री ओंकार नाथ तिवारी को अवैध रूप से प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर तैनात रखा और सरकारी आदेश सं०-384, दिनांक 21 मार्च, 2011 को निष्फल कर दिया ।

आरोप सं०-5 आपने स्वयं निर्णय लेते हुए श्री दिनेश कुमार अधिसूचित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को जिला पंचायत राज कार्यालय में योगदान देने का निदेश दिया, जबकि वहाँ न तो उनकी स्थापना थी और न ही सरकार के प्रासंगिक आदेश में आपको ऐसा कोई निदेश संप्रेषित था ।

आरोप सं०-6 आपके अपने ही पत्रों का तथ्यात्मक खंडन करना यह प्रमाणित करता है कि आपके लिए अपना स्वयं का निर्णय सर्वोच्च है । आपने सरकारी आदेश का अनुपालन करने के बजाय सरकार के नीतिगत मामलों के औचित्य पर प्रश्न उठाया और श्री तिवारी से सांठ-गांठ कर उच्चाधिकारियों को भ्रामक एवं गुमराह करने वाला पत्र लिखा ।

आरोप सं०-7 जब उच्चाधिकारियों द्वारा आपको दूरभाष पर S.M.S. एवं पत्र के द्वारा बार-बार श्री तिवारी को विरमित करने का निदेश दिया गया, जब भी आपने श्री तिवारी को विरमित करने एवं श्री दिनेश कुमार को प्रभार दिलाने में रूचि नहीं दिखायी । आपने श्री तिवारी को अवैध रूपेण संरक्षण देते हुए उच्चाधिकारियों का आदेश मानने से इंकार कर दिया ।

आरोप सं०-8 निदेशक, पंचायती राज के कार्यालय आदेश सं०-56, दिनांक 22 जुलाई, 2011 एवं अपना योगदान नावा प्रखण्ड में देने की तिथि तक श्री दिनेश कुमार सदर प्रखण्ड में पदस्थापित रहे थे। लेकिन आपने आदेश सं०-384, दिनांक 21 मार्च, 2011 की कंडिका-5 के निदेशों के प्रतिकूल श्री दिनेश कुमार को उन्हें अपने कार्य के विरूद्ध वेतन नहीं दिया गया एवं अवैतनिक बिठाए रखा । आपने नव पदस्थापित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को पदस्थापन के प्रारंभ में ही वित्तीय संकट में धकेल दिया एवं वेतन अन्य मानसिक प्रताड़ना देने का कार्य किया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-718, दिनांक 24 जनवरी, 2012 द्वारा सुश्री बारला से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में सुश्री बारला ने अपने पत्रांक-109, दिनांक 6 फरवरी, 2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

सुश्री बारला से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6377, दिनांक 15 मई, 2012 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी है । उपायुक्त, पलामू का मंतव्य अप्राप्त रहने पर कई स्मार पत्रों द्वारा स्मारित किया गया ।

तत्पश्चात् उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-618/स्था०, दिनांक 19 सितम्बर, 2016 द्वारा सुश्री बारला के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया ।

सुश्री बारला के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी ।

समीक्षोपरांत, सुश्री छवि बाला बारला, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर, पलामू, सम्प्रति-अंचल अधिकारी, राहे, राँची के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत ''निन्दन'' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 455 -- 50